ने जारी हुए

19-6-2015

वादी गंगासिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी अमरगढ ने दावा इस आशय का पेश किया कि वादी के पिता का नाम गणपतसिंह है जबकि जमाबंदी में पिता का नाम बख्तावरसिंह दर्ज कर दिया गया है। वादी के राशनकार्ड, परिचय पत्र में वादी के पिता का नाम गणपतसिंह दर्ज है। इसलिए जमाबंदी में वादी के पिता का नाम बख्तावरसिंह के स्थान पर गणपतसिंह दर्ज किया जावे।

दावा पेश होने पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट ली गई एवं प्रतिवादी कुड्डसिंह, वादी गंगासिंह के बयान लिए गए। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में एवं वादी तथा प्रतिवादी कुड्डसिंह ने अपने बयानो में वादी के पिता का नाम गणपतसिंह होना तथा इसी अनुसार रेकार्ड में दुरुस्ती करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत अभिलेख फोटोकोपी राशनकार्ड, फोटोकोपी परिचयपत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर, बयान वादी गंगासिंह, प्रतिवादी कुड्डसिंह के अनुसार वादी गंगासिंह के पिता का नाम गणपतसिंह होना साबित होता है। फलस्वरूप वादी अपने पिता का सही नाम गणपतसिंह दर्ज कराने का अधिकारी है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर भूमि ख०नं० $\frac{149}{0.70}$, $\frac{166}{0.31}$, $\frac{369/169}{0.90}$ ग्राम रूकदस्या में दर्ज वादी गंगासिंह के पिता का नाम बख्तावरसिंह के स्थान पर गणपतसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

गंगासिंह

कुड्डसिंह

पत्र 598
19.6.15

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बामनबड़ौदा

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

गंगासिंह पुत्र गणपतसिंह, राजपूत निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी ----वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ----प्रतिवादी

दावा घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं. – /2015

वादी की ओर से वादी गंगासिंह व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी ------ की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 19.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 149 रकबा 70 एयर, 166 रकबा 31 एयर, 369/169 रकबा 90 एयर ग्राम खुदरया में दर्ज वादी गंगासिंह के पिता का नाम बख्तावरसिंह के स्थान पर गणपतसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.))

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 ....रूपयो पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	